UNION TERRITORY GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

[1](No. 14 of 2017)

An Act to make a provision for levy and collection of tax on inter-State supply of goods or services or both by the Central Government and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER - I

PRELIMINARY

Section 1 : Short title, extent and commencement.

(1) This Act may be called the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017.

(2) It extends to the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, [2]**[**Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh**]**, Chandigarh and other territory.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

---

1 Received the Assent of President of India on 12-04-2017 and published in Gazette of India on 12-04-17. Enforced w.e.f. 22-06-2017.

2 Substituted by Finance Act, 2020 (12 of 2020) w.e.f. 27-03-2020. Earlier to substitution it read as under:

" [A]**[**Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu**]**"

A Substituted by the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Goods And Services Tax (Amendment) Regulation, 2020 dt. 24-01-2020 w.e.f. 26-01-2020. Earlier to substitution it was read as "Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu".

[संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधि]
संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

[1](2017 का अधिनियम संख्यांक 14)

संघ राज्यक्षेत्र द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतरराज्यिक प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1
प्रारंभिक

धारा 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है।

(2) इस अधिनियम का विस्तार अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, [2]**[**दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव, लद्दाख,**]** चंडीगढ़ और अन्य राज्यक्षेत्र पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

---

1 भारत के राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 12.04.2017 को प्राप्त हुई एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 12.04.2017 को प्रकाशित हुआ। दिनांक 22.06.2017 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) द्वारा ''दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
प्रतिस्थापना के पूर्व यह इस प्रकार था :
" A[दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव]"
A केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव माल और सेवा कर (संशोधन) विनियम, 2020 दिनांक 24.01.2020 (प्रभावशील दिनांक 26.01.2020) द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापना के पूर्व यह इस प्रकार था ''दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव''।